न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 178/2017 **दायरा दिनांक : 16.10.2017**

उनवान

1— बद्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मन्नालाल, जाति मीना, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

2— प्रेमराज पुत्र कालूलाल, जाति मीणा, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— अन्जना कुमारी आयु 25 साल पत्नी चन्द्रप्रकाश, जाति धाकड, निवासी अमलावदा हाली तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— कुन्जबिहारी आयु 68 वर्ष पुत्र हरिकिशन, जाति धाकड, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

3— बृजमोहन पुत्र कालूलाल, जाति मीणा, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

4— बलराम पुत्र मोती लाल, जाति मीणा, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

5— रामसिंह पुत्र मोती लाल, जाति मीणा, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

6— अनिता आयु 30 वर्ष पत्नी स्वर्गीय कैलाश, जाति मीणा, निवासी हाथी दिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

7— उमा आयु 3 वर्ष पुत्री कैलाश नाबालिग जरिये वली माता अनिता पत्नी कैलाश, जाति मीणा, निवासी हाथीदिलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

8— दी स्टेट ऑ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री भगवती बल्लभ शर्मा अभिभाषक अपीलांट
की ओर से
श्री रामप्रसाद नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.10.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या — 124/2013 निर्णय दिनांक 26.09.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 ने अपीलांट अप्रार्थी क्रम 1 के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 266 एवं 191 में जाने का रास्ता अप्रार्थी अपीलांट क्रम 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 265 एवं 194 वाके माल हाथी दिलोद की मेड से होकर है जिसका उपयोग प्रार्थीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 लगभग 50—60 वर्षों से कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर जाने हेतु करते चे आ रहे हैं । इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है । खसरा नम्बर 265 एवं 194 के मध्य मेड 8—10 फुट चौड़ी थी जिसे अपीलांट बद्रीलाल ने हाक दिया तथा रास्ते पर पत्थर डालकर अवरूद्ध कर दिया, रास्ता खुलवाया जाकर रास्ते की स्थिति यथावत रखे, रास्ता अवरूद्ध नहीं करें, राजस्व रेकार्ड में नक्शे में रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाये । वाद में खसरा नम्बर 194 के खातेदारी को पक्षकार बनाकर निर्धारित टाईटल पेश हुआ तथा प्रार्थना पत्र की जवाब अप्रार्थी क्रम 1 अपीलांट बद्रीलाल ने पेश कर नजरी नक्श पेश करते हुए जवाब पेश किया कि अप्रार्थीगण अपीलांट के खसरा नम्बर 265 एवं 194 की मेड जो करीब 2 इंच चौडी है से कभी

भी प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के आने जाने, कृषि यंत्र जाने जे जाने का रास्ता नहीं रहा है । वाद कारण प्रार्थी रेस्पोडेंट के खेतों में जाने की बारहमासी रास्ता मेघा हाईवे कवाई सालपुरा से सांगोद रोड से खसरा नम्बर 370 व 371 के खातेदार रामदयाल आत्मज चंदालाल मीणा के खाते के मध्य से चार पहिये वाहनों के निकलने के गठार रास्ते से है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने नया रास्ता 12 फुट चौडा के आदेश पारित कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी अधिकार से परे जाकर आर बीट्रेरी एवं एकपक्षीय प्रार्थीगण रेस्पोडेंटक्रम 1 व 2 को नाजायज मांगे गये अनुतोष के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट तहसील अटरू से दिनांक 15.07.2015 एवं 30.06.2017 मंगवायी वह धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की मंशा के विपरीत होते हुए भी अपीलांट के खेत में से दोनों तरफ 6 – 6 फुट का चौडा रास्ता देकर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 को अनाधिकृत रास्ता देने के आदेश प्रदान किये है जबकि मूल गडार कच्ची खसरा नम्बर 210 गैर मुमकिन रास्ता उम्मेदगंज से हाथी दिलोद कुल 6 फिट चौडी है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 2016 आर बी जे पेज 338 प्रभूराम बनाम स्टेट में दिये गये दिशा निर्देश 1– कि आम रास्ता वास्तविक आवश्यकतानुसार दिया जावे न कि काश्तकारों की सुविधाजनक उपयोग हेतु हो । 2– नया रास्ता दूसरे की भूमि में देने से पूर्व यह सुनिश्चित हो कि अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है । इन परिस्थितियों का विवेचन किये बगैर पारित निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि वैकल्पिक रास्ता मौजूद है फिर भी धारा 251 (क) के तहत नया रास्ता कायम किया गया है । रिपोर्ट में कही भी यह अंकित नहीं है कि वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट धारा 251 पेज 893, रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान अजमेर का रिवीजन नम्बर 53/95/टीए/नागौर निर्णय दिनांक 05.12.2000 एवं आर बी जे (23) 2016 पेज 338 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट अंजना कुमारी व कुंजबिहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) को स्वीकार कर दिनांक 26.09.2017 को उनके खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 266 पर कृषि कार्यों हेतु आने जाने के लिए अपीलांट कालूलाल के खाते की खसरा नम्बर 194 की आराजी दक्षिणी दिशा की मेड़ से तथा उससे लगी हुई अप्रार्थी अपीलांट बद्रीलाल मीणा के खाते की खसरा नम्बर 265 की उत्तरी दिशा अर्थात् खसरा नम्बर 194 व 265 की मध्यवर्ती मेड पर दोनों खसरा नम्बरान की भूमि में से 6 – 6 फुट चौड़ाई में 80 मीटर लम्बाई तक रास्ता कायम करने की आज्ञा दी गई है तथा दुगनी राशि रेस्पोडेंट प्रार्थीगण द्वारा जमा कराये जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में कायम किया गया है । चूंकि उक्त रास्ते के आदेश के बाबत खसरा नम्बर 194 की आराजी के खातेदारान की कोई आपत्ति नहीं है तथा केवल खसरा नम्बर 265 की आराजी के खातेदार द्वारा ही आपत्ति की गई है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 266 व 191 पर आने जाने का रास्ता पश्चिम दिशा में स्थित अन्य रास्ते से 240 मीटर की दूरी पर होकर है जबकि तथाकथित मौके पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है । पत्रावली पर नक्शा लठ्ठा ग्राम हाथी दिलोद से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 210 की उम्मेदगंज से हाथीदिलोद जाने की सरकारी रास्ते से केवल 80 मीटर दूरी पर अपीलांट

बद्रीलाल मीणा व रेस्पोडेंट प्रेमराज, बृजमोहन पुत्र कालूलाल मीणा के खाते की भूमि खसरा नम्बर 194 तथा 265 की मध्यवर्ती मेड पर दोनों खसरा नम्बरान की केवल 6–6 फुट भूमि पर राजस्व केम्प कोर्ट लोक अदालत द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर में मौका दिखवाकर दिनांक 02.05.2014 एक्जीविट 6 मौका रिपोर्ट एवं ग्राम वासियान की राय के मुताबिक अंजना कुमार व कुंज बिहारी को उनके खेत खसरा नम्बर 191 व 266 पर आवागमन करके रास्ता दिया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर बी जे (23) 2016 पेज 240 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नक्शा ट्रेस ग्राम हाथीदिलोद एक्जीविट ए 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 8 एक्जीविट ए 2, नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 70 एक्जीविट ए 3, नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 87 एक्जीविट ए 4, नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता संख्या 249 एक्जीविट ए 5, नकल तहरीर ग्राम पंचायत हाथीदीलोद व ग्रामवासियान की रिपोर्ट एक्जीविट ए 6, अपीलांट की ओर से बयान पी डब्ल्यू 1 कुन्जबिहारी पुत्र हरिकिशन, पी डब्ल्यू 2 नवलकिशोर पुत्र रामचरण, पी डब्ल्यू 3 हमीद पुत्र लाल खां, पी डब्ल्यू 4 कजोड पुत्र शंकरलाल, पी डब्ल्यू 5 हजारी लाल पुत्र रामचन्द्र कराये गये तथा रेस्पोडेंट की ओर से बयान डी डब्ल्यू 1 बद्रीलाल पुत्र मन्नालाल, डी डब्ल्यू 2 प्रेमराज पुत्र कालू लाल, डी डब्ल्यू 3 केदार लाल पुत्र किशनलाल, डी डब्ल्यू 4 रामकिशन पुत्र गोरधन कराये गये हैं । धारा 251 क इस प्रकार है :–

(251क.) अन्य खातेदार की जोत में से हाकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना – 1 जहॉ –

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है ; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से हाकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसी अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(।) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है; और

(।।) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज एक्जीविट ए 6 उपसरपंच ग्राम पंचायत हाथीदिलोद का अवलोकन किया पत्रावली पर तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट से प्राप्त किया जाना प्रतीत नहीं होता है । पक्षकारान के बयानों में काफी विभिन्नता है कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नहीं इस तथ्य की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाया जाकर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । न्यायहित में अपीलांट की सुनवाई आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत सुनवायी कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियानुसार मौका रिपोर्ट

मंगवाकर एवं इस बिन्दु पर अपना निर्णय पारित करते हुए कि रेस्पोडेंट प्रार्थी को कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं तथा अपीलांट के खेत में से रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है यह भी जांच करें कि रेस्पोडेंट पूर्व में अपने खाते में जमीन में किस प्रकार आते जाते रहे हैं । उपरोक्त बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए धारा 251 (क) के नियमों को मध्य नजर रखकर पुनः प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटो